महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकः– एफ.14(पीटीईटी.NOC)शैक्ष. ।।/मदसविवि/2025/ 18623

दिनांकः– 3-7-25

समन्वयक पीटीईटी.2025 (बी.एड व बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा (राज0)।

विषयः– सत्र 2025–26 में बी.एड. एवं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी. ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड पाठ्यक्रमों के लिये छात्र आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः– आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्रांकः– एफ 24(NOC-25-26)/बी.एड./आकाशि/2025/ दिनांक 26.04.2025, 03.06.2025 व 11.06.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में आदेशानुसार सूचित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिन्होंने सत्र 2025–26 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि के लिये निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के साथ आवेदन किया है एवं जिनके संबंध में आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्रांकः– **आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्रांकः– एफ 24(NOC-25-26)/बी.एड./ आकाशि/2025/ दिनांक 26.04.2025, 03.06.2025 व 11.06.2025** के द्वारा सत्र 2025–26 के लिये इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित महाविद्यालयों को **बी.एड. एवं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड** पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दिये जाने (Subject to Grant of Affiliation) के अध्याधीन निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों एवं सीटों के लिए सत्र 2025–26 में छात्र आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा हैः–

शर्तेः–

1. **समस्त प्रवेश केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक, पीटीईटी–2025, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से पीटीईटी परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से मेरिट के आधार पर दिये जायेंगे।**
2. **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि छात्रों से नहीं ली जा जायेगी। यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबधित महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।**
3. **महाविद्यालय** को एनसीटीई व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करना आवश्यक है।
4. **महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।**
5. **महाविद्यालय एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता पत्र के बिन्दु संख्या 6 की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।**
6. **राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित शुल्क राजकोष के बीएड महाविद्यालय से प्राप्ति मद में जमा कराकर काउंसलिंग से पूर्व नोडल एजेन्सी में एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय में प्रस्तुत करनी होगी।**

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	श्रेणी	आवंटितसीटें
NAGAUR				
1	Gramothan Vidyapeeth Sansthan, Opp. Nagaur Stadium, Nr. Water Works Office, Nagar	B.Ed.	W	100
2	Hind Teachers Training College, Behind 220 KV GSS, Mundwa Choraha, Nagaur.	B.Ed.	C	100
3	Saraswati Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, VPO Banthari, Teh. Didwana, Dist. Nagaur	B.Ed.	C	100

कुलसचिव

क्रमांकः– एफ.14(पीटीईटी.NOC)शैक्ष. ।।/मदसविवि/2025/18624-630 दिनांकः–3-7-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, (उच्च शिक्षा) राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय ।
4. सदस्य डीन कमेटी, मदसविवि, अजमेर।
5. निजी सचिव, कुलपति महोदय, मदसविवि, अजमेर।
6. निजी सचिव कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक मदसविवि, अजमेर।